उत्तर प्रदेश में खाद्य तेलों की मांग

3172. **श्री जनेश्वर मिश्र :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में खाद्य तेलों की कुल मांग कितनी है ;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश को खाद्य तेलों का वास्तव में कितना कोटा आवंटित किया गया;

(ग) क्या सरकार ग्रीष्म ऋतु के दौरान आने वाले त्यौहारों तथा शादियों के अवसरों पर तेलों की अतिरिक्त खपत को देखते हुए राज्य के खाद्य तेलों के कोटे में वृद्धि करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आयातित खाद्य तेल (आर०बी०डी० पामोलीन) का आवंटन उनसे प्राप्त मांग के आधार पर किया जाता है । उत्तर प्रदेश सरकार से वर्ष 1993-94 अथवा वर्ष 1994-95 के दौरान आयातित पामोलीन का आवंटन किए जाने के बारे में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है । राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि उनको केन्द्रीय पूल से किसी खाद्य तेल की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ने के संबंध में बकाया देय राशियां

3173. **चौधरी हरमोहन सिंह :**

श्री आस मोहम्मद :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार किसानों को गन्ने के बकाया के रूप में राज्य-वार कितनी राशि देय थी;

(ख) क्या गन्ने की बढ़ती हुई बकाया राशि से किसान गन्ने का उत्पादन करने के प्रति हतोत्साहित हो रहे हैं; और

(ग) बकाया राशि के भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 30-11-94 तक चीनी फैक्ट्रियों से किसानों को देय बकाया गन्ना मूल्य की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । **(नीचे देखिए)** ।

(ख) चालू मौसम 1994-95 के दौरान गन्ना क्षेत्र 1993-94 मौसम के दौरान 3.39 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 3.69 मिलियन हैक्टेयर हो गया है (अग्रिम अनुमान) जो यह दर्शाता है कि किसानों को गन्ना उगाने के लिए हतोत्साहित नहीं किया गया है ।

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश के अनुसार केन्द्र सरकार गन्ने के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस०एम०पी०) नियत करती है जिससे कम का कोई भी चीनी फैक्ट्री भुगतान नहीं कर सकती । तथापि व्यवहार में किसानों को गन्ने के राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य अदा किए जा रहे हैं जो कि एस०एम०पी० से काफी अधिक है । गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जिनके पास ऐसी अदायगी को लागू करने के लिए आवश्यक अधिकार व क्षेत्र में कार्यरत संगठन हैं । केन्द्र सरकार अपनी ओर से राज्य सरकारों को समय-समय पर बकाया गन्ना मूल्य जल्दी अदा करने के लिए सलाह देती रही है ।